आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Coffee Board of India

ICDP Support to Coffee Curing Units (Establishment and Upgradation)

कॉफी बोर्ड लाइसेंसशुदा कॉफी क्योरिंग इकाइयों को नई या उन्नत मशीनरी पर सब्सिडी देता है। 2026-27 का दौर बंद हो चुका है, और नीचे के नियम अगले दौर के लिए योजना का वर्णन करते हैं।

क्या मिल सकता है

खरीदी और लगाई गई मशीनरी की लागत पर 40 प्रतिशत सब्सिडी, प्रति क्योरिंग इकाई अधिकतम 25 लाख रुपये तक। स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, उत्पादक सहकारी संस्था, महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति व जनजाति और दिव्यांग लाभार्थियों को 50 प्रतिशत मिलता है, प्रति इकाई 30 लाख रुपये तक। पात्र मशीनों में प्री-क्लीनर, डी-स्टोनर, हलर, पीलर-पॉलिशर, कलर सॉर्टर, ड्रायर, ग्रेडर और तौल व बोरी भराई प्रणाली शामिल हैं। राशि निरीक्षण के बाद पीएफएमएस से मिलती है और निधि पर निर्भर है।

किसके लिए है

कॉफी बोर्ड का वैध क्योरिंग लाइसेंस रखने वाली कॉफी क्योरिंग इकाइयाँ, चाहे वे अकेले व्यक्ति, साझेदारी, प्राइवेट लिमिटेड फ़र्म, स्वयं सहायता समूह या उत्पादकों के समूह के रूप में चल रही हों।

मुख्य शर्तें

- इकाई के पास कॉफी बोर्ड का जारी किया हुआ वैध कॉफी क्योरिंग लाइसेंस होना चाहिए, और मशीनरी नई हो सकती है या मौजूदा मशीनरी का उन्नयन।
- यह सब्सिडी कॉफी बोर्ड की किसी दूसरी योजना के साथ नहीं मिल सकती।
- योजना उन इकाइयों पर लागू नहीं है जिन्होंने 20 मई 2026 की अधिसूचना से पहले मशीनरी लगाकर चालू कर ली थी।
- मशीनें बोर्ड की व्यवहार्यता रिपोर्ट जारी होने के बाद ही खरीदी और लगाई जा सकती हैं।
- आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लिए जाते हैं, और प्राथमिकता पूर्वोत्तर, महिला उद्यमियों, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदकों को मिलती है।

दस्तावेज़

- स्थल के लिए नोटरी से प्रमाणित पट्टा, किराया या स्वामित्व दस्तावेज़
- सुविधा का नक्शा या ब्लूप्रिंट
- मशीन आपूर्तिकर्ताओं के भाव-पत्र
- अंतिम दावे के लिए: फ़ोटो पहचान पत्र, मूल कर बीजक, वारंटी प्रमाणपत्र और नई मशीनों के फ़ोटो
- स्थानीय प्राधिकरण, कॉफी बोर्ड के क्योरिंग लाइसेंस, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग विभाग और श्रम विभाग के लाइसेंस
- खाता संख्या और आईएफएससी कोड वाली बैंक पासबुक की प्रति
- व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और दिव्यांग आवेदकों के लिए जाति, समुदाय या दिव्यांगता प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. बोर्ड जब दौर खोले तब पट्टे, नक्शे और भाव-पत्रों के साथ अनुलग्नक एक के निर्धारित प्रारूप में व्यवहार्यता आवेदन अधिसूचना में दिए ईमेल से प्रभागीय प्रमुख, कॉफी गुणवत्ता प्रभाग, कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु को भेजें।
2. बोर्ड की व्यवहार्यता रिपोर्ट आने के बाद ही मशीनरी खरीदें, लगाएँ और चालू करें।
3. मशीनें चालू होने के बाद बीजक, लाइसेंस और फ़ोटो के साथ दावा प्रपत्र (अनुलग्नक दो) जमा करें।
4. कॉफी गुणवत्ता प्रभाग स्थल का निरीक्षण करता है, और मंज़ूर सब्सिडी पीएफएमएस से आपके बैंक खाते में जाती है।

स्थिति

आखिरी तारीख: 15 सितंबर 2026

आधिकारिक स्रोत: https://coffeeboard.gov.in/Schemes/Notification%20and%20Modalities%20for%20support%20to%20%20Curing%20Units%202026.pdf
आधिकारिक PDF: https://coffeeboard.gov.in/15th-comission.html
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/coffee-icdp-coffee-curing-units-support/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।